चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 05.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). थाना राजापुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 69/25 धारा 85,80(2),238(बी) बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्वन्धित घटना स्थल का निरीक्षण एवं एसडीआरएफ टीम द्वारा यमुना नदी मे मृतका जैनब का शव बरामद करने हेतु चलाये जा रहे सर्च अभियान के पर्यवेक्षण में टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश देने के साथ साथ पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा जैनब की बरामदगी कराने वाले नागरिक को 20000 रुपया नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किये जाने की घोषणा की।

(3). आज दिनाँक 05.04.2025 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी०एन० व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सभागार मऊ में किया गया। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने भूमि सम्बन्धित मामलों पर उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी से कहा कि राजस्व, चकबंदी एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि संबंधी मामलों को प्राथमिकता पर कब्जा मुक्त कराया जाये।

इस दौरान उप जिलाधिकारी मऊ श्री सौरभ यादव, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं राजस्व,पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

(4). आज दिनाँक 05.04.2025 को अपर जिलाधिकारी चित्रकूट श्री उमेश चंद्र निगम व अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सभागार मानिकपुर में किया गया। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। अपर जिलाधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

महोदय द्वारा कहा गया कि राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाये।

इस दौरान उप जिलाधिकारी मानिकपुर श्री मोहम्मद जशीम एवं राजस्व,पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली मऊ पुलिस टीम ने खोये हुये 02 मोबाइल को बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया गया ।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 24.01.2025 को लवलेश सिंह पुत्र जगपत सिंह निवासी पहाड़ पुरवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा अपने मोबाइल खो जाने के सम्बन्ध एवं दिनांक 03.03.2025 को रमेश कुमार पुत्र राजकिशोर निवासी कस्बा मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट ने अपने मोबाइल खो जाने के सम्बन्ध में CEIR पोर्टल पर शिकायत की थी। शिकायत प्राप्त होने पर थाना कोतवाली मऊ पुलिस टीम द्वारा खोहे हुए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गयी । थाना कोतवाली मऊ में नियुक्त उ0नि0 शाहनवाज खां, कम्प्यूटर ऑपरेटर अर्जुन यादव, आरक्षी मनीष यादव द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 05.04.2025 को मोबाइल को बरामद किया गया तथा मोबाइल स्वामियों उपरोक्त को थाना कोतवाली मऊ में बुलाकर सुपुर्द किया गया । मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों को चेहरे की मुस्कान लौटी तथा पुलिस का सराहना करते हुये धन्यवाद दिया गया ।

बरामदगी/सुपुर्दगी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 शाहनवाज खां

2.कम्प्यूटर ऑपरेटर अर्जुन यादव

3.आरक्षी मनीष यादव

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष राजापुर व उनकी टीम द्वारा दहेज हत्या के आरोपी को घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल व मृतका के 01 अदद दुपट्टा सफेद कपड़े के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के नाम व पता का विवरण-

साहिल खान पुत्र कल्लू खान निवासी रायपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

1.घटना मे प्रयुक्त UP96M9812 हीरो स्पेलेण्डर मोटरसाइकिल

2.मृतका का 01 अदद सफेद दुपट्टा

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक, समय-

लूपलाइन की तरफ पक्की पटरी पर थाना राजापुर ,04.04.2025,15.10 बजे

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.04.2025 को वादी शाहबे आलम निवासी अटाला जनपद प्रयागराज द्वारा थाना राजापुर पर सूचना दी गयी कि उसकी बेटी जैनब को उसके पति व अन्य ससुरालीजनों द्वारा दहेज के लिए फांसी लगाकर मार दिया गया और शव को यमुना नदी में फेंक दिया गया। इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 69/25 धारा 85, 80(2), 238B BNS व 3/4 डीपी एक्ट पर पंजीकृत कर विवेचना CO राजापुर को सुपुर्द की गयी है। वादी की सूचना के आधार पर यमुना नदी में स्थानीय गोताखोर एवं एसडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार शव की तलाश की जा रही है। घटना में नामित मुख्य अभियुक्त साहिल खान (मृतका का पति) को दिनांक 04.04.2025 थाना राजापुर पुलिस द्वारा लूपलाइन की तरफ पक्की पटरी पर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त साहिल खां उपरोक्त से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि परिवार के सभी लोग गेहूं काटने गए थे मैं जैनब से गेहूं काटने के लिये चलने को कहा तो बीमारी का बहाना बनाकर उसने जाने से मना कर दिया मैं खेत पर गेहूं काटने चला गया परिवार के अन्य लोगों से पहले ही में घर लौट आया तो मेरे कमरे का दरवाजा बंद था झरोखे से देखा तो जैनब पंखे से लटक रही थी मैं घर के दूसरे दरवाजे से घुसकर जल्दी-जल्दी शव को पंखे से उतारा तथा भूसे की झाल (प्लास्टिक के बोरे से बना) में शव को लपेटकर घर से थोड़ी दूर गड्ढे में छिपा दिया। खेत से लौटने पर मेरी मां ने पूछा जैनब कहां है, तो मैंने हर बार कहा कि कहीं गई हुई होगी जब मैं घर आया तो घर पर नहीं थी रात में 10-11 बजे तक घर वाले ढूंढते रहे उनको परेशान देखकर मैं रात 11 बजे के लगभग उनको सच्चाई बता दी तो मेरे माता-पिता ने भी कहा कि अगर लाश गायब हो जाए तो हम लोग बच जाएंगे नहीं तो सभी लोग फंस जाएंगे योजनावद्ध तरीके से 20- 30 किलो का एक पत्थर ले जाकर नदी के किनारे रखा फिर मैं व मेरे पिताजी दोनों मिलकर मेरी मोटरसाइकिल से झाल में लपेटी हुई लाश मरघट के करीब ले गए और वहां से फिर पैदल नदी के किनारे ले गए वहां किनारे बंधी एक नाव खोली उसे पर शव एवं पत्थर दोनों रख लिया पत्थर से रस्सी के माध्यम से शव को बांध लिया और फिर नाव को धारा के बीच ले जाकर पत्थर व शव दोनों को नदी में डाल दिया अभियुक्त साहिल की संस्वीकृति के आधार पर उसे साथ लेकर उसकी निशानदेंही पर एसडीआरएफ टीम द्वारा पुन: सर्च अभियान चलाया गया किंतु सफलता नहीं मिली। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर सर्च अभियान के दौरान मौके पर ही

एसडीआरएफ टीम व स्थानीय पुलिस को निर्देशित करने के साथ-साथ जैनब को बरामद कराने वाले व्यक्ति को 20000 रुपये नगद दिए जाने की घोषणा की गई।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1. थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह
2. उ0नि0 कन्हैया बख्श सिंह
3. हे0का0 अतीक खान
4. चालक हे0का0 मुकेश कुमार
5. का0 अरुण यादव
6. का0 लवकुश यादव

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बरगढ़ पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी हरेन्द्र कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनाँक 05.04.2025 को थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 87/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त प्रद्युम्न नारायण द्विवेदी पुत्र कल्लू द्विवेदी निवासी देवरिहा तुरगवां थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम चित्रकूट सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनांक 05.04.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत एनसीआर न0 163/2009 धारा 352,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. रामदीन पुत्र गंगा प्रसाद 2. रजवा पुत्र गंगा प्रसाद निवासीगण झल्ली का पुरवा रसिन थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/-1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 अंशुल कुमार तथा उनके हमराहीगण द्वारा अभियुक्त अस्तफा उर्फ बवाली पुत्र स्व0 मुस्तफा हुसैन उम्र 32 वर्ष निवासी भरतपुरी पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

1.01 अदद देशी तमंचा 315 बोर

2.02 अदद कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अंशुल कुमार

2.आरक्षी नीतू द्विवेदी

3.आरक्षी कुलदीप द्विवेदी

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 इमरान खान व उनकी टीम द्वारा मु0नं0 1294/19 मु0अ0सं0 142/19 धारा 60 आबकारी एक्ट के वारंटी अभियुक्त मिथलेश पुत्र सावनदास निवासी ग्राम खटवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री इमरान खान

2. आरक्षी संजय कुमार यादव

(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी व पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनाँक 09.04.2000 को थाना कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 67/2000 धारा 306 आईपीसी के आरोपी अभियुक्त गुलाब चन्द्र साहू पुत्र भैरो प्रसाद साहू निवासी रामपुरी पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 10000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 09.04.2000 को वादी छत्रपाल साहू पुत्र श्री फदाली साहू निवासी ओमंकार नगर थाना फजलगंज जनपद कानपुर नगर ने थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि अभियुक्त गुलाबचन्द्र उपरोक्त द्वारा उनकी पुत्री माया देवी को प्रताडित करते थे जिससे तंग आकर मेरी पुत्री माया देवी ने मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी पर मु0अ0सं0 67/2000 धारा 306 आईपीसी पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 आरएस गौर द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 06.06.2000 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(12). थाना सरधुआ के ग्राम भदेदू में भीषण अग्नि दुर्घटना। मौके पर जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी0एन0, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी मौजूद, थाना राजापुर, पहाड़ी, सरधुआ का पुलिस बल सीओ राजापुर श्री जयकरन सिंह के नेतृत्व में मौजूद है, फायर स्टेशन राजापुर, कर्वी, मऊ, मानिकपुर चित्रकूट, पश्चिम शरीरा कौशाम्बी, अतर्रा बाँदा के फायर टैंकर मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है। आग मे कुल 31 घर प्रभावित हुए हैं केवल एक गौवंश के अलावा कोई पशु हानि और जन हानि नहीं हुई है। एसडीएम राजापुर एवं तहसीलदार राजापुर के नेतृत्व में राहत कार्य जारी है। आग से प्रभावित सभी 31 घरों के पीडितों

के लिए खाने और रहने की व्यवस्था अपने मौजूदगी मे करा दी गई है और अन्य राहत कार्यो के लिए तहसील की टीमें मौके पर सक्रिय हैं। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट मौके पर कैम्प किए हैं।